[2018] 10 एस. सी. आर. 1005

एम/एस। गोल गंगा डेवलपर्स इंडिया पीवीटी। लिमिटेड।

वी.

सचिव मंत्रालय के माध्यम से भारत का संघ

पर्यावरण और वन और ओआरएस।

(2016 की सिविल अपील सं. 10854)

10 अगस्त, 2018

[मदन बी. लोकुर और दीपाक गुप्ता, जे. जे.]

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 - धारा 19 (4) (च)-राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (व्यवहार और प्रक्रिया) नियम, 2011 - आर. 22 (2) -

समीक्षा के लिए आवेदन-मूल आवेदक ने दावा किया कि परियोजना प्रस्तावक ने पर्यावरण का उल्लंघन करते हुए निर्माण किया था परियोजना के लिए दी गई मंजूरी और विभिन्न नगरपालिका कानूनों का उल्लंघन करते हुए-एनजीटी ने परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण मुआवजे की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया-आदेश के खिलाफ अपील इस बीच, परियोजना प्रस्तावक ने एनजीटी के आदेश के खिलाफ एक समीक्षा आवेदन दायर किया, जिसका निर्णय एक अलग पीठ ने किया था। पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई किसी अन्य पीठ द्वारा तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक कि पूर्ववर्ती पीठ के लिए मामले की सुनवाई करना असंभव या पूरी तरह से अव्यवहारिक न हो-यदि कोई पक्ष आग्रह करता है कि उसके द्वारा आग्रह की गई कुछ दलीलों पर विचार नहीं किया गया तो उसने पुनरीक्षण आवेदन दायर किया।

आवेदन की सुनवाई उसी पीठ द्वारा की जानी चाहिए जिसने मूल रूप से मामले की सुनवाई की थी-उप-नियम (2) के अनुसार मामले की सुनवाई सामान्य रूप से उसी बैठक के स्थान पर की जानी चाहिए जहां इसे मूल रूप से तय किया गया था-हालाँकि, यह एक अनिवार्य निर्देश नहीं है क्योंकि उप-नियम (2) स्वयं विचार करता है कि मामले की सुनवाई सामान्य रूप से उसी स्थान पर की जाएगी-एनजीटी जैसे न्यायाधिकरणों में जहां सदस्यों को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित किया जा सकता है, इन मुद्दों को नवीनतम तकनीक का सहारा लेकर हल किया जा सकता है और यदि

ऐसे मामलों में आवश्यक तर्कों को वीडियो द्वारा सुना जा सकता है सम्मेलन-इस प्रकार, सामान्य नियम यह है कि एक ही पीठ को

समीक्षा आवेदन को सुनें और इसे बाधित नहीं किया जाना चाहिए-इसके अलावा, परियोजना प्रस्तावक ने कानून का उल्लंघन किया था निर्माण, और अधिकारियों और अधिकारियों में हेरफेर करके-उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में परियोजना लागत का 5 प्रतिशत दिया

हर्जाने के रूप में और इसका पालन एक सामान्य कानून के रूप में किया जाता है-हालांकि, तत्काल मामले में, परियोजना प्रस्तावक को Rs.100 करोड़ या परियोजना के 10 प्रतिशत के हर्जाने का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 -

-

या. XLVII।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई आम तौर पर

वही पीठ जिसने मूल रूप से मामले का फैसला किया था। पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई किसी अन्य पीठ द्वारा तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक कि पूर्ववर्ती पीठ के लिए सुनवाई करना असंभव या पूरी तरह से अव्यवहारिक न हो।

बात है। एक पुनरीक्षण याचिका में, वर्तमान मामले की तरह, जहां पुनरीक्षण याचिकाकर्ता का तर्क है कि उसके द्वारा उठाए गए कुछ तर्कों पर विचार नहीं किया गया है, तो यह केवल न्यायाधीश हैं जिन्होंने मूल रूप से मामले की सुनवाई की है जो यह तय कर सकते हैं कि इस तरह के बिंदु का आग्रह किया गया था या नहीं। [पैरा 33] [1025-सी-डी]

2. यह सर्वविदित है कि दल विभिन्न विवादों को उठाते हैं

उनकी दलीलें या उनके साक्षय में। कई मौकों पर जब दलीलें सुनी जाती हैं तो कई याचिकाओं का आग्रह नहीं किया जाता है। एन. जी. टी. सहित किसी भी न्यायिक प्राधिकरण, जिसकी अध्यक्षता एक न्यायिक सदस्य करता है, जो इस न्यायालय या उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है, से उसके समक्ष उठाए गए सभी तर्कों से निपटने की उम्मीद की जाती है। एक धारणा है कि न्यायिक अधिकारियों ने उनके सामने उठाए गए सभी तर्कों से निपटा होगा। यदि कोई पक्ष आग्रह करता है कि

उसके द्वारा आग्रह की गई कुछ दलीलों पर विचार नहीं किया गया है तो उसे एक समीक्षा आवेदन दायर करना होगा और यह स्पष्ट है कि इस तरह के समीक्षा आवेदन की सुनवाई उसी पीठ द्वारा की जानी चाहिए जिसने मूल रूप से मामले की सुनवाई की थी। [पैरा 34] [1025-EF]

3. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के नियम 22 का उप-नियम (3)

(व्यवहार और प्रक्रिया) नियम, 2011 स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि एक समीक्षा आवेदन का निपटान परिसंचरण द्वारा किया जाएगा। यदि समीक्षा आवेदन का निपटान परिसंचरण द्वारा किया जाना है

तो मामले को उसी पीठ के समक्ष प्रसारित करने में कोई समस्या नहीं है जिसने पहले मामले की सुनवाई की थी। यह उस स्थान पर भी किया जा सकता है जो सुनने के मूल स्थान से अलग हो सकता है। यह केवल तभी होगा जब पीठ समीक्षा आवेदन में मौखिक सुनवाई करने का निर्णय लेती है और विरोधी पक्ष को नोटिस जारी किया जाता है कि नियम 22 का उप-नियम (2) लागू होगा। उप-नियम (2) के अनुसार मामले की सुनवाई आम तौर पर उसी एम/एस में की जानी चाहिए।

बैठने का स्थान जहाँ यह मूल रूप से तय किया गया था। हालाँकि, यह एक अनिवार्य निर्देश नहीं है क्योंकि उपनियम (2) स्वयं इस बात पर विचार करता है कि मामले की सुनवाई 'सामान्य रूप से' उसी स्थान पर की जाएगी। एनजीटी जैसे न्यायाधिकरणों में जहां सदस्यों को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित किया जा सकता है या सर्किट पर एक पीठ में भाग ले रहे हो सकते हैं, तो कभी-कभी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन मुद्दों को नवीनतम तकनीक का सहारा लेकर और यदि आवश्यक हो तो आसानी से हल किया जा सकता है। ऐसे मामलों में दलीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना जा सकता है। सामान्य नियम कि एक ही पीठ को समीक्षा आवेदन की सुनवाई करनी चाहिए, को तब तक बाधित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि मूल पीठ के लिए मामले की सुनवाई करना लगभग असंभव न हो या पीठ के सदस्य स्वयं मामले की सुनवाई न करने का विकल्प न चुनें। [पैरा 35] [1025 जी-एच; 1026-ए-सी]

4. समीक्षा की शक्ति अपीलीय शक्ति की तरह नहीं है। इसका प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब इसके चेहरे पर कोई त्रुटि स्पष्ट हो। रिकॉर्ड। इसलिए, न्यायिक अनुशासन के लिए आवश्यक है कि एक समीक्षा आवेदन की सुनवाई उसी पीठ द्वारा की जानी चाहिए। अन्यथा, यह उसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष किसी अन्य पीठ के लिए एक अंतर-न्यायालय अपील बन जाएगी। यह न्यायिक अनुशासन और न्यायिक स्थिरता को पूरी तरह से कमजोर कर देगा। [पैरा 36] [1026-डी-ई]

आदेश दें। इसके कारण इस प्रकार हैं: 1) जिन न्यायाधीशों ने मूल रूप से मामले की सुनवाई की है, उन्होंने अपना दिमाग लगाया है और वे तथ्यों और कानूनी स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं।

2) जब समीक्षा दायर की जाएगी तो वे मुद्दे में मामले की सराहना करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होंगे।

जिसने मूल रूप से इस मामले को सुना था। इसके अलावा, न्यायिक अनुशासन, न्यायिक परंपराओं और निर्णयों में निरंतरता के लिए आवश्यक है कि मामले की सुनवाई करने वाली पीठ

मूल रूप से समीक्षा याचिका की सुनवाई होनी चाहिए जब तक कि यह वस्तुतः [2018] 10 एस. सी. आर. न हो।

मूल पीठ के लिए मामले की सुनवाई करना अव्यावहारिक है, या जहां मूल पीठ के सदस्य अलग हो जाते हैं। [पैरा 38] [1028-ई-एच; 1029-ए]

माल्थेश गुड्ड पूजा बनाम। कर्नाटक राज्य और अन्य।

(2011) 15 एससीसी 330: [2011] 11 एस. सी. आर. 870-निर्भर। सामान्य कारण वी। भारत संघ (2017) 9 एससीसी 499;

उत्तरी भारत कैटरर्स इंडिया लिमिटेड बनाम के उपराज्यपाल दिल्ली (1980) 2 एससीसी 167 [1980] 2 एससीआर 650

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

(2017) 9 एससीसी 499

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

[1980] 2 एससीआर 650

पैरा 36

संदर्भित किया गया है

[2011] 11 एससीआर 870

उस पर भरोसा करें

पैरा 37

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 10854

2016 का

राष्ट्रीय संविधान के 27.09.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2015 (डब्ल्यू. जेड.) की आवेदन संख्या 184 में हरित न्यायाधिकरण (पश्चिमी क्षेत्र) पीठ, पुणे।

के साथ

सी. ए. सं. 10901/2016 , 5157-5158 / 2018

ए. एन. एस. नाडकर्णी, ए. एस. जी., रंजीत कुमार, आर. पी. भट्ट, कविन गुलाटी,

जयंत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता। , वेंकिता सुब्रमण्यम टी. आर., राहत बंसल, ब्रज के. मिश्रा, विजय कुमार, रोहित गुप्ता, सुश्री अपर्णा झा, सुश्री कृति सोंधी, श्रीराम पी. पिंगले, सुश्री रश्मि ढोंगडे, नितिन लोनकर, सुश्री सोनाली सूर्यवंशी, नीलेश भंडारी, अशोक जैन, गुरमीत सिंह मक्कर, दिव्या प्रकाश पांडे, साल्वाडोर संतोष रेबेलो, नीरज कुमार, राहुल गर्ग, रिद्धि कक्कड़, रंजेश कुमार सिन्हा, गौरव रावल, मुकेश वर्मा, पवन कुमार शुक्ला, सुश्री वसुधा जुत्शी, यशपाल ढींगरा, श्रीराम पी. पिंगले, सुश्री रश्मि ढोंगडे, नितिन लोनकर, सुश्री सोनाली। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दीपाक गुप्ता, जे. 1. हस्तक्षेप के लिए आवेदन /

हस्तक्षेप की अनुमति है। 2016 की सिविल अपील संख्या 10854 में अपील के आधारों में संशोधन के लिए आवेदन की अनुमति दी गई।

एम/एस। गोल गंगा डेवलपर्स बनाम। U.O.I.THR। एसईसीवाई। पर्यावरण मंत्रालय [दीपक गुप्ता, जे.]

2. इन मामलों का निर्णय एक फैसले से किया जा रहा है क्योंकि ये सभी श्री तानाजी बालासाहेब द्वारा दायर एक मूल आवेदन से उत्पन्न होते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'एनजीटी') के समक्ष गाम्बायर (इसके बाद 'मूल आवेदक' के रूप में संदर्भित) आवेदन सं।

184 2015 से।

प्राधिकरण (एस. ई. आई. ए. ए.) और महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को परियोजना प्रस्तावक के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया जाए। पर्यावरण प्रभाव आकलन (ई. आई. ए.) अधिसूचना, 2006 के उल्लंघन के लिए; भारत संघ को एस. ई. आई. ए. ए. के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए; और अंत में यह प्रार्थना की गई कि परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण राहत कोष में मुआवजे की भारी राशि का भुगतान/जमा करने का निर्देश दिया जाए।

एन. जी. टी. ने अपने दिनांकित 27.09.2016 आदेश के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों में आवेदन की अनुमति दी:

" 54. उपरोक्त कारणों से, आवेदक प्रत्यर्थी द्वारा ईसी शर्तों के गैर-अनुपालन को चुनौती देने और कुछ निर्देश प्राप्त करने के लिए अपनी कानूनी खोज में सफल हो जाता है। अतः यह आवेदन की अनुमति है और हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

1. प्रत्यर्थी संख्या 9-पी. पी. पर्यावरण का भुगतान करेगा।

रुपये की क्षतिपूर्ति लागत। 100 एस. ई. ए. सी. द्वारा निर्धारित की जाने वाली परियोजना की कुल लागत का 5 प्रतिशत (पाँच प्रतिशत) जो भी कम हो, बिना आवश्यक पूर्वानुमति के निर्माण गतिविधियों को अंजाम देकर परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण को हुए नुकसान और क्षरण की बहाली और पुनर्स्थापना के लिए होगा।

एक महीने की अवधि के भीतर पर्यावरण मंजूरी। इसके अलावा, यह रुपये की राशि भी देगा। 5 कई पर्यावरणीय प्रावधानों के अनिवार्य प्रावधानों के उल्लंघन के लिए करोड़ रुपये

उपलब्ध पर्यावरण मंजूरी की सीमा के अलावा और उससे अधिक निर्माण गतिविधियों को पूरा करने के लिए कानून और बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं करने के लिए।

2. पी. एम. सी. के अधिकारी द्वारा प्रतिवादी संख्या 9-पी. पी. की परियोजना गतिविधि में अवैधता के तथ्यों का स्पष्ट, जानबूझकर या अन्यथा दमन किए जाने के हमारे निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, हम [2018] 10 एस. सी. आर.

रुपये का जुर्माना लगाएँ। 5 पी. एम. सी. और आयुक्त पी. एम. सी. को गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दें। रुपये की राशि। 5 लाख के भीतर भुगतान किया जाएगा।
एक महीना।

3. हम महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव और सक्षम प्राधिकारी को निर्देश देते हैं कि वे संबंधित अधिकारियों के आचरण पर ध्यान दें जिन्होंने एफ. एस. आई. और बी. यू. ए. की व्याख्या से संबंधित मामले में पर्यावरण विभाग को गुमराह किया है।

जिसके लिए 31 मई, 2016 को आदेश जारी किया गया है, विशेष रूप से प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, जिन्होंने 31 मई, 2016 को आदेश लिखा है।

4. पी. एम. सी., डी. ओ. ई. और एस. ई. आई. ए. ए. को रुपये की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। 1 एक लाख

प्रत्येक आवेदक को 4 सप्ताह के भीतर।"

4. एन. जी. टी. के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, परियोजना प्रस्तावक ने 2016 की सिविल अपील संख्या 10854 दायर की। पुणे नगरपालिका निगम (संक्षेप में 'पी. एम. सी.') ने भी उक्त आदेश को चुनौती दी क्योंकि यह 2016 की सिविल अपील संख्या 10901 दायर करके पी. एम. सी. पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

5. 2016 का आवेदन संख्या 35 होने के कारण समीक्षा आवेदन मूल आवेदक द्वारा एनजीटी के समक्ष दायर किया गया था। यह आवेदन आंशिक रूप से था 08.01.2018 पर अनुमति दी गई और दिनांकित 27.09.2016 के मूल क्रम में दिशा संख्या 1 को संशोधित और प्रतिस्थापित किया गया था:

पर्यावरण क्षति की बहाली और पुनर्स्थापना के लिए एस. ई. ए. सी. द्वारा आकलन की जाने वाली परियोजना की कुल लागत का 5 प्रतिशत (पाँच प्रतिशत), जो भी अधिक हो, और एक महीने की अवधि के भीतर आवश्यक पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के बिना निर्माण गतिविधियों को पूरा करने से परियोजना प्रस्तावक के कारण होने वाला क्षरण। इसके अलावा, यह रुपये की राशि भी देगा। 5 कई पर्यावरण कानूनों के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए करोड़

उपलब्ध पर्यावरण मंजूरी की सीमा के अलावा और उससे अधिक और सहमति प्राप्त न करने के लिए निर्माण गतिविधियाँ

बोर्ड से "।

6. इसके बाद, परियोजना प्रस्तावक ने आदेश को चुनौती देने की अनुमति देते हुए अपनी अपील में संशोधन करने की अनुमति के लिए 2018 की आई. ए. संख्या 8000 दायर की।

दिनांकित 08.01.2018 समीक्षा आवेदन में पारित किया गया, जिसकी हमने अनुमति दी है।

एम/एस। गोल गंगा डेवलपर्स बनाम। U.O.I.THR। एसईसीवाई। पर्यावरण मंत्रालय [दीपक गुप्ता, जे.]

समीक्षा आवेदन में दिनांकित 08.01.2018 आदेश पारित किया गया जिसमें प्रार्थना की गई थी कि अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश दिया जाए और मुआवजे को बढ़ाकर Rs.500 करोड़ किया जाए।

द फैक्टुअल मैट्रिक्स

8. संक्षेप में बताए गए तथ्य यह हैं कि परियोजना प्रस्तावक ने इसे खरीद लिया था।

79,100 स्क्वायर। एमटीआरएस। या 7.91 हेक्टेयर भूमि जिसमें छह सर्वेक्षण संख्याएँ शामिल हैं। 35 , 36 , 37 , 38 39 और 40 वडगांव, पुणे में। इन सर्वेक्षण संख्या को नियमों के अनुसार मिला दिया गया और भूखंड 79,100 वर्ग किलोमीटर का एक भूखंड बन गया। एमटीआरएस। अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि पुणे शहर के लिए विकास नियंत्रण योजना के अनुसार, 36 मीटर चौड़ी 3 सड़कें हैं। , 30 एमटीआरएस। और 18 मीटर। इस भूखंड को दो भागों में विभाजित किया गया जिसे सुविधा के लिए भूखंड संख्या 1 के रूप में संदर्भित किया गया था और

इससे मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भी हो, निर्विवाद तथ्य यह है कि एफ. एस. आई. की गणना 'नेट प्लॉट एरिया' पर की जानी है। हम इस स्तर पर यह इंगित कर सकते हैं कि उपरोक्त आंकड़े भारत संघ की ओर से विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रस्तुतियों पर आधारित हैं और इन आंकड़ों पर कोई विवाद नहीं हुआ है हमारे सामने।

9. 12.03.2007 पर, परियोजना प्रस्तावक ने 15,141.70 वर्ग कि. मी. के क्षेत्र पर लेआउट और भवन प्रस्ताव योजना की मंजूरी के लिए आवेदन किया। एमटीआरएस। , मूल रूप से भूखंड संख्या 3 के रूप में चित्रित किया गया था और स्वीकृत एफ. एस. आई. 15313.16 वर्ग कि. मी. था। इसके बाद, 05.09.2007 पर, 28,233.23 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए संशोधित लेआउट योजना प्रस्तुत की गई। एमटीआरएस। और स्वीकृत एफ. एस. आई. 39,526.54 वर्ग कि. मी. था। एम. टी. आर. एस. परियोजना प्रस्तावक ने परियोजना के लिए ई. सी. के लिए आवेदन किया और दिनांक 1 के प्रस्ताव में उन्होंने दिखाया था कि वह 552 फ्लैटों, 50 दुकानों और 34 कार्यालयों वाली 12 इमारतों का निर्माण/निर्माण करेंगे। 12 इमारतों में तहखाने और 11 मंजिलों के साथ स्टिल्ट होने थे। कुल निर्मित क्षेत्र 57,658.42 वर्ग कि. मी. के रूप में इंगित किया गया था।

04.04.2008 पर परियोजना प्रस्तावक को दिए गए। पैरा 2 और 3

ई. सी. प्रदान करने वाला संचार निम्नानुसार है:

" 2. परियोजना के प्रस्तावक ने S.No.35 से 40, गाँव वडगाँव बुद्रुक, सिंघड़ रोड, पुणे, महाराष्ट्र में समूह आवास परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। 10, 737.14 एक लाख। इस परियोजना में ढलान के साथ 12 भवन, तहखाने के साथ-साथ 552 फ्लैटों, 50 दुकानों और 34 कार्यालयों के लिए 11 मंजिलों का निर्माण शामिल है। कुल भूखंड क्षेत्र 79,100.00 वर्ग कि. मी. है। एम. दर्शित कुल निर्मित क्षेत्र 57,658.42 वर्ग कि. मी. है। एम. कुल पानी की आवश्यकता 745 के. एल. डी. होगी और

400 इमारतों से के. एल. डी. अपशिष्ट जल उत्पन्न किया जाएगा।

जिसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया जाएगा। शोधित अपशिष्ट जल का उपयोग भूनिर्माण, डी. जी. सेट कूलिंग और

बागवानी का उद्देश्य। से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट

इमारतें 1500 किलोग्राम/दिन की होंगी और एमएसडब्ल्यू नियम, 2000 के अनुसार उनका निपटान किया जाएगा। 1072 पार्किंग के लिए पार्किंग स्थान प्रस्तावित है। कारें।

" 3 .

संबंधित पर उचित विचार करने के बाद ई. ए. सी.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और अतिरिक्त

इसकी टिप्पणियों के जवाब में दिए गए स्पष्टीकरण हैं

ई. एम. पी. और अन्य निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन ऊपर उल्लिखित परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी देने की सिफारिश की। तदनुसार, मंत्रालय कठोर अनुपालन के अधीन ई. आई. ए. अधिसूचना 2006 की श्रेणी 8 (ए) के तहत परियोजना के लिए आवश्यक पर्यावरण मंजूरी देता है।

नीचे उल्लिखित विशिष्ट और सामान्य शर्तों के साथ:

10. ई. सी. को कुछ शर्तों के अधीन दिया गया था। हम कुछ प्रासंगिक शर्तों को लागू कर सकते हैं जो निम्नानुसार हैं:

" भाग ए-विशेष शर्तें

I. निर्माण चरण

XXX

XXX

XXX

वी. निर्माण के लिए भूजल को खींचने और उपयोग करने की अनुमति

इससे पहले सक्षम प्राधिकारी से कार्य प्राप्त किया जाएगा

परियोजना का निर्माण/संचालन।

" 5. परियोजना के दायरे में किसी भी बदलाव के मामले में,

परियोजना के लिए इस मंत्रालय द्वारा नए सिरे से मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। एम/एस।

गोल गंगा डेवलपर्स बनाम। U.O.I.THR। एसईसीवाई। पर्यावरण मंत्रालय [दीपक गुप्ता, जे.]

दिनांक 14.09.2006 की अधिसूचना के तहत 'निर्मित क्षेत्र' की अवधारणाः

पुणे नगर निगम, पुणे, 1982 (संक्षेप में 'डी. सी. आर.') के लिए। डी. सी. आर. के तहत, भवन के अनुदान के बिना किसी भी भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता है। पुणे नगर निगम द्वारा अनुमति/प्रारंभ प्रमाण पत्र। भवन अनुमति/प्रारंभ प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें योजनाएँ, भवन योजनाएं आदि प्रस्तुत करनी होती हैं। डी. सी. आर. के नियम 2.13 पर मुख्य जोर दिया गया था, जो निर्मित क्षेत्र को निम्नानुसार परिभाषित करता हैः

" 2.13 निर्मित क्षेत्र-नियम सं. 1 द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी ऊपरी मंजिल के भवन या बाहरी क्षेत्र द्वारा प्लिंथ स्तर से तुरंत ऊपर का क्षेत्र जो भी अधिक हो।

15.4. 2 . "

नियम 2.39 तल क्षेत्र अनुपात को निम्नानुसार परिभाषित करता हैः

“ 2.39 तल क्षेत्र अनुपात (एफ. ए. आर.)-द्वारा प्राप्त भागफल नियम संख्या 15.4 में दिए गए छूट वाले क्षेत्रों को छोड़कर सभी मंजिलों पर कुल आच्छादित क्षेत्र (आधार क्षेत्र) को विभाजित करना। 2 क्षेत्र के अनुसार

प्लॉट।

एफ. ए. आर. = सभी मंजिलों पर कुल आच्छादित क्षेत्र

प्लॉट क्षेत्र

नोट-एफ. ए. आर. शब्द फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफ. एस. आई.) "[2018] 10 एस. सी. आर. का पर्याय है।

नियम 15.4 पर निर्भरता रखी गई है। 2 जो नीचे लिखा है:

" 15.4. 2 नियम संख्या 15.4.1 (ए) (बी) और (सी) और 17.7 के अलावा। 3 निम्नलिखित को आच्छादित क्षेत्र या एफ. ए. आर. में शामिल नहीं किया जाएगा और

निर्मित क्षेत्र गणना "। (ए) एक इमारत के नीचे एक तहखाने या तहखाने की जगह जो स्टिल्ट पर बनाई गई है और पार्किंग स्थान के रूप में उपयोग की जाती है, और वातानुकूलन संयंत्र

मुख्य उपयोग के लिए सहायक के रूप में उपयोग किए जाने वाले कमरे;

(ख) विद्युत केबिन या सबस्टेशन, न्यूनतम चौड़ाई या व्यास 1.2 मीटर के साथ अधिकतम 1.6 वर्ग मीटर का चौकीदार का बूथ, पंप हाउस, गैरेज शाफ्ट, स्थान के लिए आवश्यक स्थान

अग्नि हाइड्रेंट, विद्युत फिटिंग और पानी के टैंक;

(ग) इन नियमों के तहत विशेष रूप से छूट प्राप्त अनुमान। (घ) सबसे ऊपरी मंजिल के ऊपर सीढ़ी वाले कमरे और/या लिफ्ट कमरे,

वास्तुशिल्पीय विशेषताएँ, चिमनी, ऊँचे टैंक इन नियमों के तहत अनुमेय आयाम।

ध्यान दें: लिफ्ट के लिए प्रदान किए गए शाफ्ट को केवल एक मंजिल पर न्यूनतम आवश्यक सीमा तक कवर किए गए क्षेत्र की गणना के लिए लिया जाएगा।

इन नियमों के अनुसार।

(ई) सहकारी आवास समितियों या अपार्टमेंट मालिकों/कंपनियों के भूतल पर 2 मीटर x 3 मीटर मापने वाला एक कमरा।

कार्यालय-सह-पत्र बॉक्स रूम के रूप में संचालन समितियों की इमारतें और अन्य बहुमंजिला इमारतें।

(च) रॉकरी, कुआँ और कुआँ संरचनाएँ, पौधा, नर्सरी, वाटर पूल, स्विमिंग पूल, (यदि खुला हो) एक पेड़ के चारों ओर मंच, टैंक फव्वारा, बेंच, खुले शीर्ष के साथ चाबुत्रा और दीवारों, रैंप, परिसर की दीवार, गेट, स्लाइड, झूले,

शीर्ष इमारतों पर पानी की टंकी;

(छ) हटा दिया गया। (ज) नियम सं. के प्रावधान के अधीन स्वच्छता खंड। 15.4. 1 (अ)

और निर्मित क्षेत्र 4 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। एम. ”

12. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क प्रस्तावक यह है कि निर्मित क्षेत्र की गणना करते समय

नियम 15.4.1 (ए), (बी) और (सी) और नियम 17.7 में उल्लिखित कार्य। 3 नियम 15.4 के तहत विशेष रूप से छूट प्राप्त क्षेत्रों को छूट। 2 एम/एस के लिए हैं।

गोल गंगा डेवलपर्स बनाम। U.O.I.THR। एसईसीवाई। पर्यावरण मंत्रालय [दीपक गुप्ता, जे.]

साथ ही, भारत संघ और मूल आवेदक का रुख यह है कि निर्मित क्षेत्र का अर्थ है वह सभी क्षेत्र जो 2006 की ई. आई. ए. अधिसूचना के संदर्भ में एफ. एस. आई. या गैर एफ. एस. आई. होने की परवाह किए बिना कवर किया गया है। भवन/निर्माण परियोजनाएं ई. आई. ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की अनुसूची की मद संख्या 8 द्वारा कवर की गई हैं। एक परियोजना का निर्माण जो अनुसूची के तहत आता है, उसे उक्त अधिसूचना के पैरा 2 के संदर्भ में ईसी प्राप्त करने के बाद ही शुरू किया जा सकता है। अनुसूची स्वयं विभिन्न परियोजनाओं और गतिविधियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करती है।

'श्रेणी ए' और 'श्रेणी बी' होना। श्रेणी 'ए' परियोजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा गठित की जाने वाली विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी की आवश्यकता होती है, जबकि ऐसी परियोजनाओं के आधुनिकीकरण और विस्तार सहित अनुसूची की 'श्रेणी बी' बनाने वाली गतिविधियों के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एस. ई. आई. ए. ए.) से ई. सी. की आवश्यकता होती है और ऐसे प्राधिकरण को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर के विशेषज्ञ मूल्यांकन की सिफारिश पर अपने निर्णय को आधार बनाना आवश्यक है।

समिति (एस. ई. ए. सी.) 'श्रेणी बी' को बी1 और बी2 में विभाजित किया गया है। बी1 परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ई. आई. ए.) रिपोर्ट तैयार करने और करने की आवश्यकता होती है जबकि बी2 परियोजनाओं के लिए किसी भी पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। अनुसूची की मद संख्या 8, जिसके बारे में हम चिंतित हैं, इस प्रकार है:

(4)

(3)

(5)

(1) (2)

भवन/निर्माण

परियोजनाएं/

क्षेत्र

8

विकास परियोजनाएं और नगर पालिकाएँ

8 ((क) भवन और

(के लिए निर्मित

क्षेत्र

≥20000 स्क्वायर।

और

ढका हुआ

निर्माण कार्य

एमटीआरएस।

निर्माण में

परियोजनाएं

< 1,50,000 स्क्वायर।

सुविधाओं का

मामला

एमटीआरएस। के निर्मित

खुला है आसमान,

ऊपर का क्षेत्र #

क्षेत्र)

++सभी

8 (ख) नगर पालिकाएँ

एक को कवर करना

प

रियोजनाएं

और

मद 8 (ख) के अंतर्गत क्षेत्र 50 हेक्टेयर

क्षेत्र

और या निर्मित का मूल्यांकन किया जाएगा

विकासकर्ता

श्रेणी बी1 के रूप में क्षेत्र।

टी परियोजनाएं

ऊपर।

> 1,50,000 स्क्वायर।

एमटीआरएस।

13. आइटम 8 (ए) के कॉलम 4 और 5 में दो हैश टैग (#) के एक नंगे अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि कॉलम 5 के तहत जो दिखाया गया है वह है:

वास्तव में कॉलम 4 की निरंतरता और मूल रूप से यह 'निर्मित क्षेत्र' का वर्णन या परिभाषित करता है जिसका अर्थ है आच्छादित निर्माण और यदि सुविधाएं आकाश के लिए खुली हैं, तो इसे गतिविधि क्षेत्र माना जाएगा। यह अपने आप में स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि 2006 की अधिसूचना के तहत, सभी निर्मित क्षेत्र, जो ढके हुए हैं और आकाश के लिए खुले नहीं हैं, उन्हें 'निर्मित क्षेत्र' माना जाना चाहिए। गैर-एफ. एस. आई. क्षेत्र के लिए कोई अपवाद नहीं है।

14. वास्तव में, एफ. एस. आई. या गैर-एफ. एस. आई. की अवधारणा का ई. सी. के अनुदान से कोई संबंध या संबंध नहीं है। यह नगरपालिका कानूनों और विनियमों के तहत योजनाओं के निर्माण के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन इसका ईसी के अनुदान के साथ कोई संबंध या संपर्क नहीं है। जब ईसी दिया जाना है, तो जिस प्राधिकरण को ऐसी मंजूरी देनी है, उसे केवल यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि परियोजना पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन नहीं करती है। जबकि अधिसूचना में उल्लिखित परियोजनाओं और गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है, प्राधिकरण को अनुमति देते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिकूल पर्यावरण पर प्रभाव को न्यूनतम रखा जाता है। इसलिए, ई. सी. प्रदान करने वाला प्राधिकरण ऐसी शर्तें निर्धारित कर सकता है जिनका परियोजना प्रस्तावक को पालन करना होगा। ऐसा करते समय, इस तरह के प्राधिकरण को इस बात की चिंता नहीं है कि निर्माण किया जाने वाला क्षेत्र एफ. एस. आई. क्षेत्र है या गैर-एफ. एस. आई. क्षेत्र। इन दोनों का पर्यावरण पर समान रूप से हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। निर्माण का तात्पर्य है

रेत, बजरी, इस्पात, कांच, संगमरमर आदि जैसी कई सामग्रियों का उपयोग, इन सभी का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। केवल इसलिए कि एफ. एस. आई. की गणना करते समय नगरपालिका कानूनों के तहत इस निर्माण में से कुछ को बाहर रखा गया है, ईसी को मंजूरी देते समय इसे बाहर करने का कोई आधार नहीं है। इसलिए, जब किसी विशेष निर्माण के लिए ई. सी. दिया जाता है तो इसमें एफ. एस. आई. और गैर-एफ. एस. आई. दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं। जहाँ तक पर्यावरण कानूनों का संबंध है, सभी आच्छादित निर्माण, जो आकाश के लिए खुले नहीं हैं, को दिनांकित ई. आई. ए. अधिसूचना 14.09.2006 के संदर्भ में निर्मित क्षेत्र के रूप में माना जाना चाहिए। 04.04.2011 की अधिसूचना

15. पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04.04.2011 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। इस अधिसूचना के माध्यम से, वस्तु 8 (ए) के खिलाफ कॉलम 5 के शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया है और निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है:

" इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए निर्मित क्षेत्र को परिभाषित किया गया है बेसमेंट (ओं) और अन्य सेवा क्षेत्रों सहित सभी मंजिलों पर निर्मित या कवर क्षेत्र के रूप में, जो हैं

भवन/निर्माण परियोजनाओं में प्रस्तावित "। एम/एस।

गोल गंगा डेवलपर्स बनाम। U.O.I.THR। एसईसीवाई। पर्यावरण मंत्रालय [दीपक गुप्ता, जे.]

यह अधिसूचना स्पष्ट रूप से निर्मित क्षेत्र को बिना किसी अपवाद के तहखाने और सेवा क्षेत्रों सहित सभी निर्मित क्षेत्र के रूप में परिभाषित करती है।

16. परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील

प्रस्तुत किया है कि यह अधिसूचना केवल संभावित प्रकृति की है और,

इसलिए, 2006 की अधिसूचना को प्रभावित नहीं करेगा। दूसरी ओर, मूल आवेदक द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि यह केवल एक स्पष्टीकरणात्मक अधिसूचना है और इस प्रकार यह 2006 से लागू होगी। हमारी राय में, यह तय करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि क्या यह अधिसूचना स्पष्टीकरणात्मक है या 2006 की मूल अधिसूचना के प्रतिस्थापन में है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसा कि हम ऊपर मानते हैं, 2006 की अधिसूचना के तहत भी 'निर्मित क्षेत्र' की परिभाषा के संबंध में कोई अस्पष्टता नहीं है और यह उन सभी निर्मित क्षेत्रों को शामिल करता है जो आकाश के लिए खुले नहीं हैं। 2011 की अधिसूचना में केवल यह प्रावधान किया गया है कि निर्मित क्षेत्र या आच्छादित क्षेत्र तहखाने और अन्य सेवा क्षेत्रों सहित सभी मंजिलों का क्षेत्र होगा। हम फिर से इस बात पर जोर दे सकते हैं कि यह परिभाषा भी है

जैसा कि ऊपर बताया गया है, निर्माण के लिए ई. सी. अनुदान की अवधारणा के अनुरूप है और यह स्पष्ट है कि एफ. एस. आई. या गैर-एफ. एस. आई. क्षेत्र की अवधारणा पर्यावरण कानूनों से परे है।

स्पष्टीकरण दिनांक 07.07.2017

17.परियोजना प्रस्तावक द्वारा मजबूत निर्भरता रखी गई है

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त निदेशक डॉ. आशीष कुमार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 07.07.2017। उक्त कार्यालय ज्ञापन इस प्रकार है:

एफ. नं. 22-35/2017-IA.III

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(प्रभाव आकलन प्रभाग)

******

इंदिरा पर्यावरण भवन

जोर बाग रोड,

अलीगंज,

नई दिल्ली-

110,003

तिथि 7

जुलाई, 2017

कार्यालय स्मारक

उपः लागू होने की तिथि पर स्पष्टीकरण

अधिसूचना एस. ओ. (ई) 695 दिनांक 04.04.2011 द्वारा जारी किया गया

एम. ओ. ई. एफ. और सी. सी. ने परियोजना के 'निर्मित क्षेत्र' को परिभाषित किया

[2018] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मंत्रालय को एक संदर्भ दिनांक 03.04.2017 प्राप्त हुआ है।

रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन के परिसंघ से भारत (क्रेडाई) ने उपरोक्त पर स्पष्टीकरण मांगा है।

विषय। क्रेडाई ने अनुरोध किया है कि निर्मित की परिभाषा

अप एरिया (बी. यू. ए.) अधिसूचना S.O.695 (ई) दिनांकित के माध्यम से दिया गया है। 04.04.2011 इसका संभावित प्रभाव होना चाहिए।

2. मंत्रालय में इस मामले की जांच की गई है। बीयूए

14 सितंबर की अधिसूचना एस. ओ. 1533 (ई) में परिभाषित किया गया है,

2006 आइटम 8 (ए) कॉलम 4 और 5 में उल्लेख के लिए निर्मित क्षेत्र आच्छादित निर्माण, आकाश के लिए खुली सुविधाओं के मामले में, यह होगा

गतिविधि क्षेत्र बनें "।

3. मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना के माध्यम से बी. यू. ए. को और परिभाषित किया है S.O.695 (E) दिनांकित 04.04.2011 जो इस प्रकार है, "निर्मित या

तहखाने सहित सभी मंजिलों पर एक साथ रखा गया क्षेत्र और अन्य सेवा क्षेत्र, जो भवन में प्रस्तावित हैं या

निर्माण परियोजना "।

4. मंत्रालय की अधिसूचना में दी गई परिभाषा में होगा -

इसका प्रभाव केवल अधिसूचना की संभावित तिथि से होगा। द. परियोजनाएँ जो उपरोक्त अधिसूचनाओं की अवधि में शामिल नहीं हैं

(राज्यों में स्थानीय प्राधिकरणों का डी. सी. आर.)। 5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ जारी किया जाता है।

एसडी /

(डॉ. आशीष कुमार)

संयुक्त निदेशक

Ph: 011-24695474

ईमेल: आशीष। k@nic। में

सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/एस. आई. ई. ए. ए./एम. ओ. ई. एफ. और सी. सी. प्रभाग

उपरोक्त ज्ञापन के आधार पर कि इससे पहले

दिनांक 04.04.2011 पर, निर्मित क्षेत्र की गणना की जानी थी और

भवन उप-कानून या विकास नियंत्रण के अनुसार

राज्यों में स्थानीय प्राधिकरणों के कार्य। मूल की ओर से

यह आग्रह किया गया है कि यह ज्ञापन अर्थहीन है और यह तब जारी किया गया है जब मामला एनजीटी के समक्ष मेसर्स एनजीटी में लंबित था।

गोल गंगा डेवलपर्स बनाम। U.O.I.THR। एसईसीवाई। पर्यावरण मंत्रालय [दीपक गुप्ता, जे.]

परियोजना के प्रस्तावकों में से एक, श्री अतुल का उदाहरण गोयल कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई), पुणे के संयुक्त सचिव थे।

18. मामले के इस पहलू में गए बिना, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि इस तरह का कार्यालय ज्ञापन नहीं हो सकता था और न ही होना चाहिए था। जारी किया गया। दिनांकित 14.09.2006 अधिसूचना पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 (3) के संदर्भ में जारी की गई एक वैधानिक अधिसूचना है जिसमें यह प्रावधान है कि ऐसी अधिसूचना जारी करने से पहले केंद्रीय

सरकार को अधिसूचना जारी करने के अपने इरादे की सूचना देनी होती है और उस पर आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र सरकार को जनहित में नोटिस की आवश्यकता को समाप्त करने का अधिकार है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा दिनांकित 14.09.2006 अधिसूचना जारी की गई थी और जनता से आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। इस अधिसूचना के संबंध में पहला स्पष्टीकरण 04.04.2011 पर जारी किया गया था, जिसे हमने ऊपर स्पष्ट किया है। केंद्र सरकार के ये दो निर्णय, जिन्हें कानून के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित किया गया था, संयुक्त निदेशक द्वारा शून्य नहीं किए जा सकते थे, भले ही वे किसी उच्च प्राधिकारी की मंजूरी से जारी किए गए हों। हमारा विचार है कि चूंकि इस तरह के निर्णय को राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए इस कार्यालय के ज्ञापन द्वारा दिनांक 14.09.2006 की वैधानिक अधिसूचना और उसके बाद के स्पष्टीकरण दिनांक 04.04.2011 को वस्तुतः अलग नहीं किया जा सकता था। 19. हमारा यह भी विचार है कि तथाकथित कार्यालय ज्ञापन प्रकृति में बिल्कुल भी स्पष्टीकरणात्मक नहीं है। जैसा कि हमने 2006 की अधिसूचना के ऊपर कहा था कि 'निर्मित क्षेत्र' के संबंध में बिल्कुल स्पष्ट था और किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। हम यह समझने में विफल हैं कि इमारत उप-कानूनों या डी. सी. आर. में समझी गई निर्मित क्षेत्र की अवधारणा को इस कार्यालय ज्ञापन द्वारा 2006 की अधिसूचना में कैसे शामिल किया जा सकता है, जिसने वस्तुतः 2006 की अधिसूचना को पूरी तरह से निरर्थक बना दिया था। इसलिए, हम 07.07.2017 दिनांकित कार्यालय ज्ञापन को रद्द कर देते हैं।

20. यह पहली बार नहीं है जब हमने मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा इस तरह के स्पष्टीकरण जारी किए जाने पर ध्यान दिया है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, जिनका वस्तुतः वैधानिक प्रावधानों और अधिसूचनाओं को रद्द करने का प्रभाव पड़ता है। हमने संकेत दिया है

कॉमन कॉज बनाम भारत संघ में हमारे निर्णय में इनमें से कुछ संचारों के लिए। हम मंत्रालय के अधिकारियों से उम्मीद करते हैं

1 (2017) 9 एससीसी 499 [2018] 10 एस. सी. आर.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन एक ऐसा रुख अपनाना जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है, न कि स्पष्टीकरण जारी करना जो वास्तव में परियोजना के समर्थकों को कानून का उल्लंघन करने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में मदद करता है।

21. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि 04.04.2008 पर परियोजना प्रस्तावक को दिया गया ईसी एक निर्माण के लिए था

57, 658.42 वर्ग का कुल निर्मित क्षेत्र। एमटीआरएस। और इसमें सभी ढके हुए निर्माण शामिल होंगे जो आकाश के लिए खुले नहीं हैं। एफ. एस. आई. और गैर-एफ. एस. आई. क्षेत्र के आधार पर कोई कृत्रिम विभाजन नहीं किया जा सकता है। इसलिए, एन. जी. टी. इस निष्कर्ष पर पहुंचने में पूरी तरह से उचित था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उठाया गया निर्माण उसे दिए गए ई. सी. का पूर्ण उल्लंघन था।

पर्यावरणीय मंजूरी दिनांक 20.11.2017 22. परियोजना प्रस्तावक ने राज्य स्तर पर दी गई परियोजना के विस्तार के लिए निर्वाचन आयोग की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

20.11.2017 पर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस. ई. आई. ए. ए.)। हम ध्यान दें कि यह मंजूरी इंगित करती है कि मौजूदा निर्माण में 738 फ्लैट और 115 दुकानें शामिल हैं जो पूरी हो चुकी हैं, 69 फ्लैट और 2 दुकानें जो निर्माणाधीन हैं, जिसका अर्थ है कि 807 फ्लैट और 117 दुकानें पहले से मौजूद हैं और इसके अलावा 454 और फ्लैट और सांस्कृतिक केंद्र बनाने की मांग की जा रही है। इससे फ्लैटों की कुल संख्या 1261 और दुकानों की संख्या 117 हो जाएगी। हम यह भी देख सकते हैं कि एस. ई. आई. ए. ए. ने निर्माण-पूर्व चरण के लिए सामान्य शर्तें निर्धारित की हैं और पहली शर्त इस प्रकार है:

" (1) यह पर्यावरण मंजूरी (ईसी) स्थानीय योजना प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कुल निर्मित क्षेत्र 147219.45 एम 2 के लिए जारी की जाती है। यह ध्यान दिया जाता है कि कुल प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र 147219.45 m2 है जिसमें पिछले ईसी (दिनांकित) का क्षेत्र शामिल है। 04.04.2008) 57, 658.42 वर्ग मीटर और 89 का प्रस्तावित विस्तार क्षेत्र, 561.03 वर्ग मीटर। हालांकि 147219.45 वर्ग मीटर का उपरोक्त क्षेत्र काल्पनिक है क्योंकि पिछले ईसी का गैर एफएसआई क्षेत्र घटक 1,47,219.45 m2 में शामिल नहीं है। पिछले ईसी के गैर एफएसआई क्षेत्र पर विचार करने के बाद कुल निर्मित क्षेत्र 1,81,230.94 m2 हो जाता है। एस. ई. आई. ए. ए. ने 7 जुलाई, 2017 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से एम. ओ. ई. एफ. और सी. सी. द्वारा जारी स्पष्टीकरण पर भी ध्यान दिया है, जिसमें कहा गया है कि निर्मित क्षेत्र की परिभाषा का मूल्यांकन स्थानीय अधिकारियों के भवन उप-कानूनों या डी. सी. आर. के अनुसार किया जाएगा।

राज्यों "। एम/एस।

गोल गंगा डेवलपर्स बनाम। U.O.I.THR। एसईसीवाई। पर्यावरण मंत्रालय [दीपक गुप्ता, जे.]

उपरोक्त शर्त स्वयं स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि 04.04.2008 के पहले ईसी के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्मित गैर-एफएसआई क्षेत्र को ध्यान में नहीं रखा गया है। परियोजना के प्रस्तावक ने उठाया है

48, 424.66 वर्ग मीटर मापने वाले एफ. एस. आई. क्षेत्र के भूखंड संख्या 1 में निर्माण। एमटीआरएस। , और 46,088.47 वर्ग मीटर मापने वाला गैर-एफ. एस. आई. क्षेत्र। अतः प्लॉट संख्या 1 में कुल 94,513.13 वर्ग कि. मी. का निर्माण किया गया है। प्लॉट नंबर 2 में एक एफ. एस. आई. क्षेत्र पर बनाया गया निर्माण 630.55 वर्ग कि. मी. है। एमटीआरएस। और गैर पर एफ. एस. आई. क्षेत्र 4,858.57 वर्ग कि. मी. है। एमटीआरएस। और, इसलिए, भूखंड संख्या 2 में पहले से ही उठाया गया कुल निर्माण 5,489.12 वर्ग कि. मी. है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उठाया गया कुल निर्माण 1,00,002.25 वर्ग कि. मी. है। एमटीआरएस। 57, 658.42 वर्ग के निर्मित क्षेत्र के खिलाफ। एमटीआरएस। 04.04.2008 के ईसी में उल्लिखित है। एस. ई. आई. ए. ए. द्वारा इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उठाए गए कुल निर्माण के मामले में

इसे 1,00,002.25 वर्ग के रूप में लिया जाता है। एमटीआरएस। और यदि प्रस्तावित क्षेत्र

निर्माण को जोड़ा जाता है तो परियोजना बी1 श्रेणी में आएगी और इसलिए, एस. ई. आई. ए. ए. के पास परियोजना को मान कर ई. सी. देने का कोई अधिकार नहीं था।

बी2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा, ईसी दिनांकित 20.11.2017 है

यह भी अवैध है क्योंकि इसे महाराष्ट्र राज्य के पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव द्वारा पारित आदेश के अनुमान पर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि 12 भवनों के बजाय 18 भवनों का निर्माण अनुमत है। ई. सी. ने इस तथ्य पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया कि एन. जी. टी. द्वारा दिनांकित आई. डी. 2 के आदेश को रद्द कर दिया गया था और अपने दिनांकित आई. डी. 1 के आदेश में अलग कर दिया गया था। हम ध्यान दे सकते हैं कि 31.05.2016 पर आदेश पारित करने वाला अधिकारी वही अधिकारी था, जिसने एस. ई. आई. ए. ए. के सदस्य सचिव का पद संभाला था, जिसने अनुमति दी थी।

मूल आवेदक द्वारा विभिन्न अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोप 24. एन. जी. टी. ने अपने दिनांक 27.09.2016 के आदेश में पाया है कि पी. एम. सी. के अधिकारियों द्वारा तथ्यों को छिपाया गया था। एनजीटी ने भी निर्देश दिया

महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव पर्यावरण विभाग को गुमराह करने वाले अधिकारियों के आचरण पर ध्यान दें। लागत पी. एम. सी., विभाग पर लगाई गई थी

पर्यावरण और एस. ई. आई. ए. ए. पी. एम. सी. ने इसे हमारे सामने चुनौती दी है।

परियोजना प्रस्तावक और हम, इसलिए, द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं एन. जी. टी. ने इस संबंध में अपने दिनांक 27.09.2016 के आदेश में कहा। हमने ऊपर जो चर्चा की है, उसे ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि 2006 और 2011 की अधिसूचनाओं के स्पष्ट और स्पष्ट होने के बावजूद, पीएमसी के अधिकारियों ने एक व्याख्या दी है जो परियोजना प्रस्तावक के अनुरूप बनाई गई थी। यह स्पष्टीकरण से पहले ही किया जा रहा था

07.07.2017 जारी किया गया। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि पी. एम. सी. के कुछ अधिकारी पर्यावरण की कीमत पर परियोजना प्रस्तावक के मामले का समर्थन कर रहे थे।

27. हम यह भी देख सकते हैं कि प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, भारत सरकार। से महाराष्ट्र ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम नहीं किया है। मूल आवेदक द्वारा लगाए गए आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। 27.09.2016 दिनांकित मूल आदेश में, एनजीटी ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 42. प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग के 31 मई, 2016 के आदेश के निकाले गए हिस्से से यह देखा गया है कि उन्होंने 12 भवनों के बजाय साइट पर 18 भवनों के निर्माण की घोषणा की है, जो उनके अनुसार, केवल भवनों के विन्यास में परिवर्तन है। यह राय निस्संदेह उनके गलत निष्कर्ष पर आधारित है कि कुल बीयूए जो है

एफ. एस. आई. की खपत के अलावा कुछ नहीं अर्थात 48617.14 वर्ग कि. मी. एम. टी. एस. जो वास्तविक निर्माण गतिविधि के मुकाबले ईसी सीमा के भीतर है जिसमें एम/एस है।

गोल गंगा डेवलपर्स बनाम। U.O.I.THR। एसईसीवाई। पर्यावरण मंत्रालय [दीपक गुप्ता, जे.]

100000 वर्ग कि. मी. से अधिक। एम. टी. आर. एस बी. यू. ए. इसलिए हम 31 मई, 2016 के उस आदेश/संचार को दरकिनार करते हैं।

महाराष्ट्र संबंधित अधिकारियों के आचरण का संज्ञान लेगा। हम आगे मुख्य सचिव को इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हैं - पर्यावरण विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव का 3 महीने के भीतर एनजीटी को आचरण जो उसके बाद उचित होगा

मामले में निर्देश।

2016 के समीक्षा आवेदन No.35 में पारित दिनांकित 08.01.2018 आदेश को चुनौती:

28. इस आदेश को परियोजना प्रस्तावक दोनों ने चुनौती दी है।

एन. जी. टी. पर समान बल के साथ लागू होगा। 30. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (व्यवहार और प्रक्रिया) नियम, 2011 के नियम 22 (2) में प्रावधान है कि एक समीक्षा आवेदन की सुनवाई आमतौर पर न्यायाधिकरण द्वारा उसी बैठक के स्थान पर की जाएगी, जिसने आदेश पारित किया है, जब तक कि अध्यक्ष, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, इसे किसी अन्य स्थान पर बैठे न्यायाधिकरण द्वारा सुनवाई करने का निर्देश न दे।

परिसंचरण द्वारा उत्पन्न। 31. चूंकि समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग एनजीटी करता है

जो सिविल न्यायालय के हैं, उन्हें प्रासंगिक रूप से संदर्भित करना उचित होगा

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XLVII के अनुसार,

ओ. डब्ल्यू. एस:

" 1. निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन। - (1) कोई भी व्यक्ति

स्वयं को व्यथित समझते हुए (क) किसी डिक्री या आदेश द्वारा

जिसे एक अपील की अनुमति है, लेकिन जिससे कोई अपील नहीं की गई है

(ख) किसी डिक्री या आदेश द्वारा, जिससे कोई अपील की अनुमति नहीं है,

या (ग) लघु न्यायालय के निर्देश पर निर्णय द्वारा

कारण, और कौन, नए और महत्वपूर्ण पदार्थ की खोज से

या सबूत जो उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद नहीं था

उसके ज्ञान के भीतर या उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका

समय जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश दिया गया था, या खाते पर अभिलेख पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली किसी गलती या त्रुटि का, या

किसी अन्य पर्याप्त कारण से, समीक्षा प्राप्त करने की इच्छा

न्यायालय के निर्णय का जिसने डिक्री पारित की या आदेश दें। (2) एक पक्ष जो किसी डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील नहीं कर रहा है

विचाराधीनता के बावजूद निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं

किसी अन्य पक्ष द्वारा की गई अपील का, सिवाय इसके कि जहां का आधार ऐसी अपील आवेदक और अपीलार्थी के लिए आम है, या

जब, प्रत्यर्थी होने के नाते, वह अपीलीय न्यायालय में पेश हो सकता है

वह मामला जिस पर वह समीक्षा के लिए आवेदन करता है।

XXX

XXX

XXX

न्यायाधीश। - जहाँ न्यायाधीश या न्यायाधीश, या न्यायाधीशों में से कोई एक, जिसने आदेश पारित किया या आदेश दिया, जिसकी समीक्षा की गई है

न्यायालय के लिए आवेदन किया, जारी रखा या जारी रखा

समय जब समीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, और नहीं या

छह की अवधि के लिए अनुपस्थिति या अन्य कारण से वर्जित नहीं हैं डिक्री पर विचार करने से आवेदन के बाद के महीने या

आदेश जिसे आवेदन संदर्भित करता है, ऐसे न्यायाधीश या न्यायाधीश या

उनमें से कोई भी आवेदन की सुनवाई करेगा, और कोई अन्य न्यायाधीश या

न्यायालय के न्यायाधीश उसी पर सुनवाई करेंगे। एम/एस।

गोल गंगा डेवलपर्स बनाम। U.O.I.THR। एसईसीवाई। पर्यावरण मंत्रालय [दीपक गुप्ता, जे.]

32. परियोजना प्रस्तावक ने समीक्षा आवेदन में पारित आदेश को चुनौती देने के लिए विभिन्न आधारों का आग्रह किया है। पहला आधार यह है कि जबकि मूल आदेश डॉ. जस्टिस की पीठ द्वारा पारित किया गया था।

जवाद रहीम और डॉ. अजय ए. देशपांडे, समीक्षा आवेदन पर सुनवाई की गई और न्यायमूर्ति यू. डी. साल्वी और डॉ. नागिन नंदा की पीठ ने फैसला सुनाया। यह आग्रह किया गया है कि डॉ. न्यायमूर्ति जवाद रहीम एन. जी. टी. के न्यायिक सदस्य बने रहें और वास्तव में, जब एन. जी. टी. द्वारा समीक्षा में विवादित फैसला सुनाया गया था, तब वे पुणे की पश्चिमी पीठ में आई. डी. 1 पर बैठे थे। 33. हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि समीक्षा याचिका की सुनवाई आम तौर पर उसी पीठ द्वारा की जानी चाहिए जिसने मूल रूप से मामले का फैसला किया था। पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई किसी अन्य पीठ द्वारा तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक कि पूर्ववर्ती पीठ के लिए मामले की सुनवाई करना असंभव या पूरी तरह से अव्यवहारिक न हो। एक पुनरीक्षण याचिका में, वर्तमान मामले की तरह, जहां पुनरीक्षण याचिकाकर्ता का तर्क है कि उसके द्वारा उठाए गए कुछ तर्कों पर विचार नहीं किया गया है, तो यह केवल न्यायाधीश हैं जिन्होंने मूल रूप से मामले की सुनवाई की है जो यह तय कर सकते हैं कि इस तरह के बिंदु का आग्रह किया गया था या नहीं। वर्तमान मामले में समीक्षा आवेदन मुख्य रूप से इस तर्क पर आधारित था कि शपथ पत्र दिनांकित था

18.05.2016 पीठ द्वारा विचार में नहीं लिया गया।

सुना है कि कई याचिकाओं का आग्रह नहीं किया जाता है। एन. जी. टी. सहित किसी भी न्यायिक प्राधिकरण, जिसकी अध्यक्षता एक न्यायिक सदस्य करता है, जो इस न्यायालय या उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है, से उसके समक्ष उठाए गए सभी तर्कों से निपटने की उम्मीद की जाती है। एक धारणा है कि न्यायिक अधिकारियों ने उनके सामने उठाए गए सभी तर्कों से निपटा होगा। यदि कोई पक्ष यह आग्रह करता है कि उसके द्वारा आग्रह की गई कुछ दलीलों पर विचार नहीं किया गया है तो उसे एक समीक्षा आवेदन दायर करना होगा और यह स्पष्ट है कि इस तरह के समीक्षा आवेदन की सुनवाई उसी पीठ द्वारा की जानी चाहिए जिसने मूल रूप से मामले की सुनवाई की थी। 35. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (व्यवहार और प्रक्रिया) नियम, 2011 के नियम 22 के उप-नियम (3) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक समीक्षा आवेदन का निपटान परिसंचरण द्वारा किया जाएगा। यदि समीक्षा आवेदन का निपटान परिसंचरण द्वारा किया जाना है तो मामले को उसी पीठ के समक्ष प्रसारित करने में कोई समस्या नहीं है जिसने पहले मामले की सुनवाई की थी। यह उस स्थान पर भी किया जा सकता है जो सुनने के मूल स्थान से अलग हो सकता है। यह केवल तभी होता है जब पीठ [2018] को 10 एस. सी. आर. देने का निर्णय लेती है।

समीक्षा आवेदन में मौखिक सुनवाई और विरोधी पक्ष को नोटिस जारी किया जाता है कि नियम 22 का उप-नियम (2) लागू होगा। उप-नियम (2) के अनुसार मामले की सुनवाई आम तौर पर उसी बैठक में की जानी चाहिए जहां यह मूल रूप से तय किया गया था। हालाँकि, यह एक अनिवार्य निर्देश नहीं है क्योंकि उपनियम (2) स्वयं इस बात पर विचार करता है कि मामले की सुनवाई 'सामान्य रूप से' उसी स्थान पर की जाएगी। एन. जी. टी. जैसे न्यायाधिकरणों में जहां सदस्यों को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित किया जा सकता है या हो सकता है

सर्किट पर एक बेंच में भाग लेने के बाद कभी-कभी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन मुद्दों को नवीनतम तकनीक का सहारा लेकर आसानी से हल किया जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों में तर्कों को वीडियो द्वारा सुना जा सकता है।

सम्मेलन। सामान्य नियम कि एक ही पीठ को सुनना चाहिए पुनरीक्षण आवेदन को तब तक बाधित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि मूल पीठ के लिए मामले की सुनवाई करना लगभग असंभव न हो या पीठ के सदस्य स्वयं मामले की सुनवाई न करने का विकल्प न चुनें।

36. इस संबंध में, हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि समीक्षा की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसका संयम से उपयोग किया जा सकता है। जैसा कि न्यायमूर्ति वी. आर.

कृष्ण अय्यर, जे., "समीक्षा के लिए एक याचिका, जब तक कि पहला न्यायिक दृष्टिकोण नहीं है

स्पष्ट रूप से विकृत, चंद्रमा के लिए पूछने जैसा है। समीक्षा की शक्ति अपीलीय शक्ति की तरह नहीं है। इसका प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब अभिलेख के सामने कोई त्रुटि स्पष्ट हो। इसलिए, न्यायिक अनुशासन के लिए आवश्यक है कि एक समीक्षा आवेदन की सुनवाई उसी पीठ द्वारा की जानी चाहिए। अन्यथा, यह उसी अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष दूसरी पीठ के लिए एक अंतर-अदालत अपील बन जाएगी। यह न्यायिक अनुशासन और न्यायिक स्थिरता को पूरी तरह से कमजोर कर देगा।

37. हम माल्थेश गुड्डा में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं।

पूजा बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य। 3. उस मामले में एक अनुभाग पीठ द्वारा एक रिट अपील का निपटारा किया गया था जिसमें माननीय शामिल थे। वी. गोपाल गौड़ा और एल. नारायण स्वामी, जेजे। , कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ सर्किट बेंच में। इसके बाद, माननीय की पीठ के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की गई। के. श्रीधर राव और रवि मलिमथ, जे. जे. ने आपत्ति जताई कि समीक्षा याचिका की सुनवाई उन्हीं न्यायाधीशों द्वारा की जानी चाहिए जिन्होंने मूल रूप से मामले की सुनवाई की थी, लेकिन इस आपत्ति को खारिज कर दिया गया और समीक्षा याचिका को स्वीकार कर लिया गया और अपील को खंड पीठ के समक्ष नए सिरे से सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया। यह अपील सूचीबद्ध की गई थी

2 (1980) 2 एससीसी 167 3 (2011) 15 एससीसी 330/एस।

गोल गंगा डेवलपर्स बनाम। U.O.I.THR। एसईसीवाई। पर्यावरण मंत्रालय [दीपक गुप्ता, जे.]

मैं एक शून्य था क्योंकि जिन न्यायाधीशों ने समीक्षा सुनी थी, उन्हें सुनना चाहिए था

यह बात विशेष रूप से तब सुनी है जब मूल पीठ के न्यायाधीश उपलब्ध हों। सी. पी. सी. के एक्स. एल. वी. आई. आई. नियम 5 और उच्च न्यायालय के नियम 5 के आदेश के बाद यह मामला इस न्यायालय और इस न्यायालय में आया।टका नियम, 1959 और इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि मुख्य न्यायाधीश कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था कि समीक्षा याचिका

निम्नलिखित रूप में आयोजित सूची के अनुसार संपादित किया गया:

" 18. संहिता के आदेश 47 नियम 5 और उच्च न्यायालय नियमों के अध्याय 3 नियम 5 की आवश्यकता है, और वास्तव में यह आदेश देता है कि यदि वे न्यायाधीश जिन्होंने आदेश दिया है जिसके संबंध में समीक्षा की मांग की गई है, वे न्यायालय के न्यायाधीश बने रहें, तो उन्हें समीक्षा के लिए आवेदन सुनना चाहिए, न कि किसी अन्य न्यायाधीश को जब तक कि मृत्यु, सेवानिवृत्ति या आवेदन की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए न्यायालय से अनुपस्थिति से वंचित न किया जाए। पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किसी उच्च न्यायालय में अपील या पुनरीक्षण नहीं है, बल्कि उसी न्यायालय से सीमित मामलों पर अपने निर्णय को वापस लेने या पुनर्विचार करने का अनुरोध है। समीक्षा के लिए निर्धारित आधार। समीक्षा के लिए आवेदन पर सुनवाई करने के लिए उन्हीं न्यायाधीशों की आवश्यकता का कारण सरल है। जिन न्यायाधीशों ने मामले का फैसला किया, उन्होंने इसे विस्तार से सुना होगा, अपने दिमाग का उपयोग किया होगा और उन तथ्यों और कानूनी स्थिति को सबसे अच्छी तरह से जानते होंगे जिनके संदर्भ में निर्णय दिया गया था। जब समीक्षा के लिए आधार उठाए जाएंगे, तो वे मुद्दे के मुद्दे को समझने में सक्षम होंगे। यदि मामला किसी अन्य पीठ के समक्ष जाना चाहिए, तो उस पीठ का गठन करने वाले न्यायाधीश पहली बार मामले को देखेंगे और यह जानने के लिए कि क्या समीक्षा के लिए आधार मौजूद हैं, उन्हें पूरे मामले के बारे में खुद को परिचित करना होगा। इसके अलावा, जब यह किसी अन्य पीठ के समक्ष जाता है, तो हमेशा एक संभावना होती है कि नई पीठ के सदस्य अपने स्वयं के दृष्टिकोण से प्रभावित हो सकते हैं, जो जरूरी नहीं कि पीठ का ही हो।

जिसने मामले का फैसला किया।

19. न्यायिक प्रक्रिया की प्रकृति में बेंजामिन कार्डोजो का प्रसिद्ध बयान, (पीपी। 12-13) इस संदर्भ में प्रासंगिक है:

" हम में से प्रत्येक में प्रवृत्ति की एक धारा है, चाहे आप

इसे दर्शनशास्त्र कहें या न कहें, जो विचार और कार्य को सुसंगतता प्रदान करता है। न्यायाधीश अन्य प्राणियों की तुलना में उस वर्तमान से अधिक नहीं बच सकते हैं। उनके पूरे जीवन, ऐसी शक्तियाँ जो वे नहीं करते हैं पहचानते हैं और नाम नहीं ले सकते हैं, उन्हें विरासत में मिली प्रवृत्ति, पारंपरिक मान्यताओं, अर्जित विश्वासों से जोड़ते रहे हैं। इस मानसिक [2018] 10 एस. सी. आर. में

हर समस्या की पृष्ठभूमि अपनी सेटिंग पाती है। हम चीजों को अपनी इच्छा के अनुसार वस्तुनिष्ठ रूप से देखने की कोशिश कर सकते हैं। फिर भी, हम कभी नहीं कर सकते

उन्हें अपनी आँखों के अलावा किसी भी नज़र से देखें।

20. इसलिए आवश्यक रूप से, जब पीठ के अलावा कोई अन्य पीठ हो।

जिस निर्णय ने निर्णय दिया है, समीक्षा के लिए एक आवेदन पर विचार करने की आवश्यकता है, इस बात की पूरी संभावना है कि एक अलग पीठ की ओर से मामले को फैसले के लेखकों द्वारा इसे देखने के तरीके से थोड़ा अलग तरीके से देखने की प्रवृत्ति है। इसलिए निर्णयों की निरंतरता और अंतिमता का नियम यह आवश्यक बनाता है कि उन परिस्थितियों के अधीन जो मूल पीठ के लिए इसे सुनना असंभव या अव्यावहारिक बना सकती हैं, समीक्षा आवेदनों पर न्यायाधीश या न्यायाधीशों द्वारा विचार किया जाना चाहिए जिन्होंने मामले को सुना और निर्णय लिया या यदि उनमें से एक उपलब्ध नहीं है, तो कम से कम दूसरे न्यायाधीश से बनी पीठ द्वारा। यह केवल वहीं है जहां दोनों न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हैं (ऊपर उल्लिखित कारणों के कारण) समीक्षा के लिए आवेदनों को किसी अन्य पीठ के समक्ष रखना होगा क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जब न्यायाधीश या उनमें से कम से कम एक, जिसने निर्णय दिया, न्यायालय के सदस्य या सदस्य बने रहते हैं और सामान्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए उपलब्ध रहते हैं, तो इसे उनके सामने रखने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। उक्त आवश्यकता नियमित रूप से नहीं होनी चाहिए।

के साथ वितरित।"

38. उपरोक्त निर्णय का अवलोकन इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि सी. पी. सी. के आदेश XLVII नियम 5 के संदर्भ में,

समीक्षा की सुनवाई आम तौर पर उसी पीठ द्वारा की जानी चाहिए जिसने मूल आदेश पारित किया था। हम इस न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों को दोहरा सकते हैं। ये

ये हैं:

1) जिन न्यायाधीशों ने मूल रूप से मामले की सुनवाई की है, उन्होंने अपना दिमाग लगाया है और वे तथ्यों और कानूनी स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं।

2) जब समीक्षा दायर की जाएगी तो वे मुद्दे में मामले की सराहना करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होंगे।

3) यदि मामला किसी अन्य पीठ के समक्ष जाता है तो उस पीठ को वस्तुतः मामले की नए सिरे से सुनवाई करनी होगी।

4) सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मामला एक नई पीठ के पास जाता है तो नई पीठ के सदस्य अपने स्वयं के दृष्टिकोण और दर्शन से जा सकते हैं जो उस पीठ से पूरी तरह से अलग हो सकता है जिसने मूल रूप से मामले की सुनवाई की थी। बात है।

एम/एस। गोल गंगा डेवलपर्स बनाम। U.O.I.THR। एसईसीवाई। पर्यावरण मंत्रालय [दीपक गुप्ता, जे.]

हम फिर से इस बात पर जोर दे सकते हैं कि न्यायिक अनुशासन, न्यायिक परंपराओं और निर्णयों में निरंतरता की आवश्यकता है कि मूल रूप से मामले की सुनवाई करने वाली पीठ को समीक्षा याचिका की सुनवाई करनी चाहिए, जब तक कि मूल पीठ के लिए मामले की सुनवाई करना लगभग अव्यावहारिक न हो, या जहां मूल पीठ के सदस्य अलग हो जाते हैं।

39. एक अन्य आधार यह उठाया गया है कि वैधानिक अपील पहले से ही थी

मूल आदेश के खिलाफ इस न्यायालय में लंबित है जब समीक्षा आवेदन सुनवाई के लिए लिया गया था। सी. पी. सी. के आदेश XLVII नियम 1 (2) के आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि समीक्षा आवेदन को सुनवाई के लिए नहीं लिया जाना चाहिए था क्योंकि मूल आवेदक इस न्यायालय के समक्ष उन सभी बिंदुओं को ले सकता था जो उसने अपने समीक्षा आवेदन में लिए थे। यह भी तर्क दिया जाता है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें कोई स्पष्ट त्रुटि हो

अभिलेख पर और इस प्रकार समीक्षा की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता था। जहाँ तक इस मामले के तथ्यों का संबंध है, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि मूल आवेदक उन सभी मुद्दों को उठा सकता था जो उसने समीक्षा आवेदन में उठाए थे, यहां तक कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दायर अपील में जवाबी हलफनामा दायर करके या मूल आदेश को इस न्यायालय में चुनौती देकर भी।

उसने अब किया है। इस संदर्भ में, एक बार जब इस अदालत ने मामले को अपने हाथ में ले लिया और सभी मुद्दों पर आग्रह किया जा रहा था, तो एनजीटी को समीक्षा आवेदन की सुनवाई के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए था।

40. हम यह जोड़ सकते हैं कि 21.12.2016 पर, समीक्षा आवेदन स्वयं डॉ. न्यायमूर्ति जवाद रहीम और डॉ. अजय की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। ए. देशपांडे, जिन्होंने मामले को सुनवाई के लिए 25.01.2017 तक स्थगित कर दिया

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत प्रदान की गई वैधानिक अपील को ध्यान में रखते हुए समीक्षा आवेदन की रखरखाव के संबंध में। हालांकि, मामला दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हो गया और उक्त पीठ ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा उठाई गई इस आपत्ति पर विचार किया

सी. पी. सी. के आदेश XLVII नियम 1 और पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" अभिलेख पर गौर करने के बाद, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता मुआवजे के आदेश को पूरी तरह से रद्द करने की मांग कर रहा है और समीक्षा आवेदक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे को बढ़ाने की मांग कर रहा है। हम उक्त अपील में आवेदक और अपीलार्थी द्वारा उपयोग किए गए आधारों में कोई समानता नहीं देखते हैं। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 के उपखंड 2 का अपवाद प्रत्यर्थी संख्या 9 की सहायता के लिए नहीं आता है। इसलिए, हमारी विचारशील राय है कि समीक्षा

आवेदन बनाए रखने योग्य है। समीक्षा आवेदन की गैर-रखरखाव की याचिका खारिज कर दी गई है। "[2018] 10 एस. सी. आर.

41. हमारा मानना है कि उपरोक्त निष्कर्ष गलत है। परियोजना प्रस्तावक ने न केवल एन. जी. टी. के मूल आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि उसने निर्वाचन आयोग का उल्लंघन नहीं किया था, बल्कि इस आधार पर भी कि दिए गए नुकसान अत्यधिक थे। इसलिए, यह सवाल कि नुकसान की सीमा क्या होनी चाहिए, विशेष रूप से इस न्यायालय के समक्ष था। इसलिए, हमारी स्पष्ट रूप से राय है कि समीक्षा आवेदन की सुनवाई करने वाली पीठ ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि इस न्यायालय के समक्ष लंबित अपील के बावजूद समीक्षा आवेदन बनाए रखने योग्य था।

42. हम यह भी नोट कर सकते हैं कि समीक्षा की सुनवाई करने वाली पीठ ने समीक्षा के अन्य सभी आधारों को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया है कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है, लेकिन केवल 'कार्बन फुटप्रिंट' के आधार पर लगाए जाने वाले नुकसान को बढ़ाने के मुद्दे पर विचार किया है। पीठ ने नोट किया कि इस शपथ-पत्र पर पूर्ववर्ती पीठ द्वारा विचार नहीं किया गया था। समीक्षा आवेदन की सुनवाई करने वाली पीठ को कैसे पता चल सकता है कि मूल सुनवाई के समय इस हलफनामे का कोई संदर्भ दिया गया था या नहीं? वास्तव में, परियोजना प्रस्तावक आग्रह करता है कि यह हलफनामा कभी भी 18.05.2016 पर दायर नहीं किया गया था।

43. यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि मूल आवेदक के अनुसार उन्हें इस तरह की याचिका दायर करने के लिए पीठ द्वारा मौखिक अनुमति दी गई थी

23.02.2016 पर एक शपथ पत्र। हमने 23.02.2016 दिनांकित आदेश का अवलोकन किया है और पाया है कि इसमें इस तरह के किसी भी अनुरोध का कोई उल्लेख नहीं है। यदि ऐसा कोई अनुरोध नहीं है तो इस तरह का हलफनामा दायर करने के लिए मौखिक निर्देश जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि इसके बाद

23.02.2016 , यह मामला कई मौकों पर एनजीटी के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था अर्थात 16.03.2016,05.04.2016,18.04.2016,22.04.2016,02.05.2016 और 05.05.2016। किसी भी आदेश में कार्बन फुटप्रिंट या मूल आवेदक द्वारा दायर किए जाने वाले किसी भी हलफनामे का कोई संदर्भ नहीं है। यदि मौखिक अनुमति दी गई होती, तो जाहिर है कि मूल आवेदक ने या तो आवेदन दायर किया होता या अनुरोध किया होता कि वह ऐसा हलफनामा दायर करना चाहता है।

44. विचाराधीन हलफनामा दिनांकित 18.05.2016 है और यह आरोप लगाया जाता है कि इसे 18.05.2016 पर दाखिल किया गया था। मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था

19.05.2016 किस तारीख को भी इस तरह के किसी भी हलफनामे का कोई संदर्भ नहीं है। यह ध्यान रखना उचित होगा कि परियोजना प्रस्तावक के बीच में था

प्रधान पीठ के समक्ष 2016 का एम. ए. सं. 389 दायर किया गया जिसमें कहा गया था कि इसके खिलाफ दिनांक 1 का एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था और मामले की सुनवाई नहीं की जा रही थी और इसलिए, इसकी सुनवाई एम/एस की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा की जा सकती है।

गोल गंगा डेवलपर्स बनाम। U.O.I.THR। एसईसीवाई। पर्यावरण मंत्रालय [दीपक गुप्ता, जे.]

डॉ. न्यायमूर्ति जवाद रहीम, जो स्पष्ट रूप से उस समय पुणे पीठ में अदालत का संचालन कर रहे थे, ने इसे स्वीकार कर लिया और प्रधान पीठ ने निर्देश दिया कि मामले को डॉ. न्यायमूर्ति जवाद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। आई. डी. 3 पर, मूल आवेदक ने यह कहते हुए समय मांगा कि उसने प्रधान पीठ के समक्ष आई. डी. 1 के आदेश के खिलाफ समीक्षा आवेदन दायर किया था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति यू. डी. साल्वी की अध्यक्षता वाली पूर्व पीठ द्वारा की जानी चाहिए और इसलिए, उस दिन डॉ. न्यायमूर्ति जवाद रहीम द्वारा मामले की सुनवाई नहीं की जा सकी और इसे आई. डी. 2 तक स्थगित कर दिया गया। दिनांकित 19.05.2016 क्रम में कार्बन पदचिह्न का कोई संदर्भ नहीं है। 23.05.2016 पर, मामले की सुनवाई डॉ. न्यायमूर्ति जवाद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा की गई और आदेश सुरक्षित रख लिए गए। इस आदेश में भी कार्बन फुटप्रिंट के संबंध में हलफनामे का कोई संदर्भ नहीं है। अगर

हलफनामा दाखिल करने को पीठ के संज्ञान में लाया गया होगा, उसने आदेश में दर्ज किया होगा कि कुछ नया हलफनामा दायर किया गया था। इसके बाद, परियोजना प्रस्तावक, जो प्रतिस्पर्धा करने वाला प्रतिवादी है, ने 20.07.2016 पर एक आवेदन दायर किया जिसमें प्रार्थना की गई कि इस बीच उसने पर्यावरण विभाग और एस. ई. आई. ए. ए. से अनुमति प्राप्त कर ली है, जिसके लिए हमने ऊपर कहा है। 45. मूल आवेदक ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। मामले को आरक्षित सूची से हटाने के लिए फिर से सुनवाई के लिए 28.07.2016 तक स्थगित कर दिया गया था क्योंकि बाद में घटनाक्रम हुए थे। उस पर

28.07.2016 मामला आई. डी. 1 तक स्थगित कर दिया गया था, जिस तारीख को अंतरिम आदेशों के कार्यान्वयन के लिए कुछ निष्पादन आवेदन लिया गया था और पी. एम. सी. को निर्देश जारी किया गया था। जब सुनवाई बंद हुई तो मामले को फिर से 08.08.2016,19.08.2016 और 24.08.2016 पर उठाया गया और 27.09.2016 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फैसला सुनाया गया। इनमें से किसी भी आदेश में कार्बन फुटप्रिंट या उस हलफनामे का कोई उल्लेख नहीं किया गया था जिसके आधार पर समीक्षा आवेदन दायर किया गया था। 23.05.2016 पर परियोजना प्रस्तावक ने मूल आवेदक द्वारा दायर किए गए दिनांक 18.05.2016 के हलफनामे का जवाब दाखिल किया जिसमें उन्होंने आपत्ति जताई कि ऐसा हलफनामा 18.05.2016 पर दायर नहीं किया गया था और इसकी प्रति उन्हें 20.05.2016 पर सौंपी गई थी और मूल आवेदक को ऐसा हलफनामा दायर करने की अनुमति नहीं थी। सभी

ये विवादित मुद्दे कि क्या ऐसा हलफनामा न्यायालय की अनुमति से दायर किया गया था या इसे पहली सुनवाई में या दूसरी सुनवाई में संदर्भित किया गया था, केवल उस पीठ द्वारा तय किया जा सकता था जिसने मामले की सुनवाई 23.05.2016 पर की थी या 24.08.2016 जिस तारीख को मूल आवेदन आदेश के लिए आरक्षित किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

46. हमारा विचार है कि समीक्षा आवेदन

डॉ. न्यायमूर्ति जवाद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए थी, जो स्वीकार्य रूप से उपलब्ध थे और वास्तव में एनजीटी के सदस्य बने हुए हैं। इसलिए हम 2016 के समीक्षा आवेदन No.35 दिनांक 08.01.2018 में पारित आदेश को दरकिनार करने के लिए विवश हैं।

क्या विध्वंस ही एकमात्र समाधान है? :

47. अगला मुद्दा यह है कि हमें क्या करना चाहिए।

निर्माण। बड़ी संख्या में फ्लैट पहले से ही भरे हुए हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने इन फ्लैटों पर कब्जा करने के लिए पैसे दिए हैं। फ्लैट खरीदने वाले व्यक्तियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने आग्रह किया कि फ्लैटों को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए अन्यथा उन्हें भारी आर्थिक नुकसान होगा। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि अब 807 हैं। फ्लैट और 117 दुकानें जो या तो निर्मित हैं या निर्माणाधीन हैं। ये फ्लैट 1,1.5 और 2 बीएचके फ्लैट और छोटी दुकानें और कार्यालय हैं। परियोजना के प्रस्तावक ने पहले ही इन व्यक्तियों से पैसा ले लिया है और बड़ी संख्या में फ्लैटों और दुकानों पर पहले ही कब्जा कर लिया गया है और यहां तक कि जहां शेष फ्लैटों और दुकानों पर कब्जा नहीं है, मध्यम वर्ग के व्यक्तियों ने इस परियोजना में अपने जीवन की कमाई का निवेश किया है। एनजीटी के समक्ष पक्षकार नहीं रहे इन तीसरे पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में विध्वंस इसका जवाब नहीं है। इससे निर्दोष लोगों को नुकसान होगा। आम तौर पर, यह न्यायालय अवैध निर्माणों को वैध बनाने के लिए अनिच्छुक है, लेकिन वर्तमान मामले में हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है

ऐसा करें।

48. हम यह स्पष्ट करने में जल्दबाजी करते हैं कि परियोजना प्रस्तावक नहीं हो सकता है

अधिक फ्लैट बनाने की अनुमति दी गई। हम उन्हें केवल 807 फ्लैटों, 117 दुकानों/कार्यालयों और क्लब हाउस सहित सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण को पूरा करने की अनुमति दे रहे हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि उन्हें उन दो भवनों का निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिनमें उन्हें 454 आवासों का निर्माण करना था, और स्पष्ट रूप से उन व्यक्तियों (व्यक्तियों) को 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ धन वापस करना होगा जिन्होंने इसमें निवेश किया है। इन व्यक्तियों के पक्ष में कोई इक्विटी नहीं है क्योंकि इस निर्माण को बढ़ाने की योजना 2014 के बाद ही प्रस्तुत की गई थी जब पहले के ईसी की वैधता पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इसलिए, हालांकि हम समर्थन करते हैं एनजीटी का दिनांक 27.09.2016 का आदेश कि विध्वंस मामले के विशिष्ट तथ्यों में जवाब नहीं है, हम यह भी स्पष्ट करते

हैं कि परियोजना प्रस्तावक को 807 फ्लैट, 117 दुकानें/कार्यालय, सांस्कृतिक केंद्र और क्लब हाउस से अधिक कुछ भी बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

एम/एस। गोल गंगा डेवलपर्स बनाम। U.O.I.THR। एसईसीवाई। पर्यावरण मंत्रालय [दीपक गुप्ता, जे.]

क्या मूल आवेदक विशेष नुकसान का हकदार है:

49. मूल आवेदक की ओर से हमारे सामने विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे जो एनजीटी के समक्ष नहीं उठाए गए थे और मूल आदेश या यहां तक कि समीक्षा के तहत आदेश में भी कोई उल्लेख नहीं मिला था। हम उन मुद्दों पर विचार नहीं कर रहे हैं। यह आग्रह किया गया कि परियोजना प्रस्तावक ने सांस्कृतिक केंद्र के क्षेत्र को कम कर दिया है। यह कथन सही नहीं है जैसा कि भारत संघ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने बताया है। विकास योजना न केवल परियोजना के तहत क्षेत्र के लिए है, बल्कि इसमें एक बहुत बड़ा क्षेत्र शामिल है जहां एक से अधिक बिल्डर और परियोजनाएं शामिल हो सकती हैं। यह केवल एक बिल्डर की जिम्मेदारी नहीं है कि वह पूरी सामुदायिक सेवाएं प्रदान करे और इन्हें क्षेत्र में परियोजनाओं के सभी डेवलपर्स द्वारा आनुपातिक रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। यह भी आरोप लगाया गया था कि बिल्डर ने 3 तहखाने बनाए थे जो अवैध हैं। दूसरी ओर परियोजना प्रस्तावक के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि एक तहखाने को पहले ही अवरुद्ध कर दिया गया है और अन्य दो तहखाने को भी उपयोग में नहीं लाया जाएगा और पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि पी. एम. सी. और एस. ई. आई. ए. ए. यह सुनिश्चित करेंगे कि परियोजना

प्रस्तावक तहखानों को इस तरह से अवरुद्ध करता है कि उनका कभी भी कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। मूल आवेदक द्वारा उठाया गया एक अन्य तर्क यह था कि परियोजना के प्रस्तावक ने कहा था कि हालांकि वह किसी भी भूजल का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन इसने भूजल का उपयोग किया है और निर्वाचन आयोग की शर्त का उल्लंघन किया है। रिलायंस को कुछ तस्वीरों में दिखाया गया है

पानी पंप किया जा रहा है। दूसरी ओर परियोजना प्रस्तावक की ओर से यह आग्रह किया गया है कि इस पानी को पंप से बाहर निकाला जा रहा है।

खुदाई क्षेत्र जब इमारत बनाई गई थी और जल स्तर बढ़ गया था। हम इन कार्यवाहियों में तथ्य के इस विवादित प्रश्न का निर्णय नहीं ले सकते।

50. हम यह भी बता सकते हैं कि इस मामले में मूल आवेदक ने मामले को पेश करने की कोशिश की है जैसे कि वह जनहित में मामला दायर कर रहा है और कुछ सामान्य निर्देशों के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि

अपने लिए विशेष नुकसान। मूल आवेदक की मुख्य शिकायत निर्वाचन आयोग के उल्लंघन के संबंध में है और उनके अनुसार ये उल्लंघन वर्ष 2009 में शुरू हुए थे। मूल आवेदक ने विचाराधीन परियोजना में एक फ्लैट के लिए आवेदन किया था और सेवा में कमी के बारे में परियोजना प्रस्तावक को 21.10.2011 पर नोटिस जारी किया था। यह नोटिस था 17.11.2011 पर जवाब दिया। इसके बाद, मूल आवेदक ने 22.02.2012 पर 2012 की उपभोक्ता शिकायत संख्या 95 दायर की। इस शिकायत का फैसला 20.11.2014 पर किया गया था। इसके बाद, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच के आदेश को राज्य उपभोक्ता निवारण [2018] 10 एस. सी. आर. के समक्ष चुनौती दी गई।

परियोजना प्रस्तावक और मूल आवेदक दोनों द्वारा कमीशन

फरवरी, 2015। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद पक्षों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ शिकायतें और जवाबी शिकायतें दायर की गईं और परियोजना प्रस्तावक ने 02.12.2015 पर मूल आवेदक के खिलाफ मानहानि के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया और इसके बाद ही 07.12.2015 पर मूल आवेदक द्वारा एनजीटी में एक आवेदन दायर किया गया था। हम इन तथ्यों को केवल इस तथ्य पर जोर देने के लिए उजागर कर रहे हैं कि यह मुकदमा स्पष्ट रूप से जनहित याचिका नहीं है। इसलिए, मूल आवेदक का उसे विशेष हर्जाना देने का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

नुकसान की मात्रा:

51. हमें नुकसान के मुद्दे पर निर्णय लेने और पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है क्योंकि मूल आवेदक ने भी एनजीटी के मूल आदेश को चुनौती दी है।

नुकसान का आकलन करते समय हम कुछ तथ्यों पर ध्यान दे सकते हैं:

1) ईसी को 04.04.2008 पर मंजूरी दी गई थी, लेकिन दिनांकित 20.06.2009 स्थापित करने के लिए सहमति जारी करने के बाद निर्माण शुरू हुआ और ईसी ऐसी सहमति की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए मान्य होगा, यानी 19.06.2014 तक; 2) ईसी दिनांक 04.04.2008 को निर्मित क्षेत्र 57,658.42 वर्ग मीटर के निर्माण के लिए दिया गया था। एमटीआरएस। , जबकि निश्चित रूप से, अब तक निर्मित क्षेत्र 1,00,002.25 वर्ग कि. मी. है। एम. टी. आर. एस. इसलिए, स्पष्ट उल्लंघन है

ईसी की शर्तों के बारे में;

3) 19.06.2014 के बाद उठाया गया कोई भी निर्माण बिना किसी ईसी के है, विशेष रूप से क्योंकि हमने माना है कि 20.11.2017 पर दिया गया ईसी अमान्य है।

कार्बन फुटप्रिंट: 52. मूल आवेदक का मुख्य मामला यह है कि नुकसान की गणना वैज्ञानिक आधार पर की जानी चाहिए।

53. एनजीटी के समक्ष मूल आवेदक द्वारा दायर मूल आवेदन में कार्बन फुटप्रिंट का कोई संदर्भ नहीं है। यहां तक कि जब सबूत शुरू में दिए गए थे, तब भी इसका कोई संदर्भ नहीं दिया गया था। कार्बन फुटप्रिंट की अवधारणा को मूल आवेदक द्वारा केवल अपने हलफनामे दिनांक 18.05.2016 में पेश किया गया था। वास्तव में, परियोजना प्रस्तावक के अनुसार यह हलफनामा 18.05.2016 पर भी दाखिल नहीं किया गया था। हमें ऐसा लगता है कि एन. जी. टी. का ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसमें मूल आवेदक मेसर्स को विशेष रूप से अनुमति दी गई हो।

गोल गंगा डेवलपर्स बनाम। U.O.I.THR। एसईसीवाई। पर्यावरण मंत्रालय [दीपक गुप्ता, जे.]

इस तरह का शपथ पत्र दाखिल करना। मूल आवेदक का निवेदन यह है कि उसे मौखिक रूप से इसे दाखिल करने की अनुमति दी गई थी। इन विवादित प्रश्नों का निर्णय केवल मूल पीठ द्वारा किया गया होगा और इसलिए, हमने पहले ही दिनांकित 08.01.2018 समीक्षा आवेदन में पारित आदेश को दरकिनार कर दिया है।

54. न्यायालय मूल्यांकन की एक नई अवधारणा पेश नहीं कर सकते हैं और

हर्जाना वसूलना जब तक कि इस ओर से विशेषज्ञ साक्षय का नेतृत्व नहीं किया जाता है या कुछ अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत नहीं हैं। हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में ऐसे किसी भी सिद्धांत को स्वीकार या स्थापित नहीं किया गया है। जब इस संबंध में कोई अभिवचन नहीं होते हैं तो हम यह समझने में विफल रहते हैं कि तर्क के स्तर पर सबूत बंद होने के बाद कार्बन फुटप्रिंट की अवधारणा को कैसे पेश किया जा सकता है। हम वास्तविक रूप से प्रभाव का आकलन नहीं कर सकते हैं और इसलिए, हम केवल उन सिद्धांतों पर नुकसान या लागत लगा सकते हैं जिन्हें लागू किया गया है।

कानून द्वारा अच्छी तरह से स्थापित। 55. हम यह भी नोट कर सकते हैं कि जिस तरीके से मूल आवेदक का उल्लेख किया गया है, वह किसी भी कानून, नियम या कार्यकारी निर्देशों का हिस्सा नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस विधि का उपयोग क्षतिपूर्ति करने और नुकसान उठाने के लिए किया जाता है।

राष्ट्र लेकिन हम चुनाव आयोग का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर हर्जाना लगाते समय इस पद्धति को लागू नहीं कर सकते हैं। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि मूल आवेदक द्वारा अपने हलफनामे दिनांक 18.05.2016 में की गई गणना एन. जी. टी. उन धारणाओं पर आधारित हैं जिनमें से कुछ हम सही नहीं पाए हैं जैसे (1) भूजल का उपयोग; (2) सांस्कृतिक केंद्र के स्थान में कमी; (3) तहखाने का निर्माण आदि।

56. हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि हम यह कानून नहीं बना रहे हैं कि कार्बन फुटप्रिंट के आधार पर नुकसान का आकलन नहीं किया जा सकता है। एक ऐसे मामले में जहां इस ओर से विशेषज्ञ साक्षय का नेतृत्व किया जाता है या अनुभवजन्य डेटा के आधार पर यह स्थापित किया जाता है कि कार्बन फुटप्रिंट क्षति के सिद्धांतों को लागू करके मूल्यांकन किया जा सकता है, न्यायालय तथ्यों और परिस्थितियों में कर सकता है।

मामले में, ऐसे आंकड़ों पर भरोसा करें, लेकिन वर्तमान मामले में, ऐसी कोई विश्वसनीय सामग्री नहीं है। 57. ऐसा मानने के बाद हमारा निश्चित रूप से यह विचार है कि जिस परियोजना प्रस्तावक ने कानून का उल्लंघन किया है, उसे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

स्कॉट-मुफ़्त। इस न्यायालय ने कई मामलों में परियोजना लागत का 5 प्रतिशत हर्जाने के रूप में दिया है। यह सामान्य कानून है। हालांकि, वर्तमान मामले में हम महसूस करते हैं कि परियोजना प्रस्तावक के पूरी तरह से कठोर और अप्रमाणिक व्यवहार को ध्यान में रखते हुए नुकसान अधिक होना चाहिए। उन्होंने

अधिकारियों और अधिकारियों के साथ पैंतरेबाज़ी और हेरफेर किया है। 12 इमारतों के बजाय, उन्होंने 18 का निर्माण किया है; 552 फ्लैटों में से फ्लैटों की संख्या [2018] 10 एस. सी. आर. है।

रुपये की राशि भी देनी होगी। 5 पर्यावरण कानूनों के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए उपरोक्त के अलावा, नुकसान के रूप में करोड़। 58. आम तौर पर, यह न्यायालय पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी देने के लिए इच्छुक नहीं है। हालांकि, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में हम निर्देश देते हैं कि एक बार जब परियोजना प्रस्तावक हमारे द्वारा निर्देशित नुकसान की राशि जमा कर देता है तो परियोजना प्रस्तावक ईसी के अनुदान के लिए उपयुक्त प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है। प्राधिकरण ईसी के अनुदान के लिए ऐसी शर्तें लगा सकता है जो उसे आवश्यक लगे।

निष्कर्ष और निर्देश:

59. हम अपने निष्कर्षों और निर्देशों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं:

(i) 14.09.2006 की अधिसूचना के तहत निर्मित क्षेत्र का अर्थ है

सभी निर्मित क्षेत्र जो आकाश के लिए खुले नहीं हैं;
(ii) 04.04.2011 की अधिसूचना के तहत निर्मित क्षेत्र का अर्थ है तहखाने और सेवा क्षेत्रों सहित सभी कवर किए गए क्षेत्र;/S।

गोल गंगा डेवलपर्स बनाम। U.O.I.THR। एसईसीवाई। पर्यावरण मंत्रालय [दीपक गुप्ता, जे.]

(iii) 07.07.2017 दिनांकित संचार पूरी तरह से अवैध है और तदनुसार रद्द कर दिया गया है; ((iv) मूल आवेदन को जनहित याचिका के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(v) हम उन व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिन्हें पक्षकार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है;

08.01.2018 पूरी तरह से अवैध माना जाता है और तदनुसार अलग रखा जाता है; (viii) हम 27.09.2016 दिनांकित मूल आदेश को बरकरार रखते हैं जिसमें कहा गया है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उठाया गया निर्माण 04.04.2008 पर उसे दी गई पर्यावरण मंजूरी का उल्लंघन था। हम पीएमसी पर लगाए गए जुर्माने और गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए पीएमसी को दिए गए निर्देश को बरकरार रखते हैं। हम महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव को दिए गए निर्देश को भी बरकरार रखते हैं और इसके अलावा, निर्देश देते हैं कि मुख्य सचिव

महाराष्ट्र राज्य का सचिव प्रधान सचिव के पद पर आसीन अधिकारी के आचरण की जांच करेगा।

(पर्यावरण) महाराष्ट्र सरकार को 27.09.2016 पर और आज से तीन महीने के भीतर एनजीटी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा; (ix) हम परियोजना प्रस्तावक पर 2 करोड़ रुपये या परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, का हर्जाना लगाते हैं और इसके अलावा, परियोजना प्रस्तावक एनजीटी द्वारा अपने दिनांक 1 के आदेश में लगाए गए 5 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक को निर्माण बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

454 आवासों वाली दो इमारतों में से;

कुल 807 फ्लैट, 117 दुकानें/कार्यालय और क्लब हाउस सहित सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण पूरा करना। (xii) परियोजना प्रस्तावक को केवल परियोजना को पूरा करने के लिए पर्यावरण मंजूरी लेने की अनुमति होगी, बशर्ते कि -

उपर्युक्त शर्तों में लागत का भुगतान और इसे [2018] 10 एस. सी. आर. के विशिष्ट तथ्यों में पूर्व कार्योत्तर पर्यावरण मंजूरी दी जा सकती है।

मामला, पर्यावरण जैसे नियमों और शर्तों पर प्राधिकारी उचित और उचित समझता है;

(xiii) परियोजना प्रस्तावक को जमा करने के लिए छह महीने का समय दिया जाता है।

निदेश सं. के संदर्भ में अधिरोपित क्षति की राशि। (ix)

इस न्यायालय की रजिस्ट्री में ऊपर उल्लिखित है। परियोजना प्रस्तावक के मामले में

छह महीने के भीतर राशि जमा नहीं करता है तो सभी परिसंपत्तियाँ परियोजना प्रस्तावक अर्थात एम/एस। गोयल गंगा डेवलपर्स इंडिया

उन परिसंपत्तियों की बिक्री से नुकसान की वसूली की जाएगी। यह है। आगे निर्देश दिया कि यदि यह राशि इसके भीतर जमा नहीं की जाती है

छह महीने की अवधि के बाद लाइसेंस/पंजीकरण/अनुमति

मेसर्स को दिया गया। गोयल गंगा डेवलपर्स इंडिया प्रा. लिमिटेड को विकसित करने के लिए

अचल संपत्ति के अर्थ के भीतर कोई भी "अचल संपत्ति परियोजना"

(विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 को रद्द कर दिया जाएगा और

परियोजना प्रस्तावक अर्थात एम/एस। गोयल गंगा डेवलपर्स इंडिया

अचल संपत्ति के तहत कोई भी "अचल संपत्ति परियोजना" विकसित करें (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की अनुमति के बिना

यह न्यायालय।

(xiv) उचित जारी करने के लिए मामले को 22.10.2018 पर सूचीबद्ध किया जाए।

नुकसान की राशि का उपयोग कैसे किया जाए, इसके बारे में निर्देश;

60. सभी अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है। यदि कोई लंबित है तो उसका भी निपटारा कर दिया जाएगा।

अपीलों का निपटारा किया गया।

वैन